<u>कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना</u>

इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) / अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड धारकों के सिलिंडर और प्रैशर रेग्युलेटर की 50 प्रतिशत लागत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (ओएमसीज) की निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि से तथा शेष 50 प्रतिशत लागत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाती है। दिल्ली सरकार इन्हें रबर पाइप और हॉट प्लेट की सहायता भी उपलब्ध कराती है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को अन्य के साथ झुग्गी राशन कार्ड (जेआरसी) धारकों के लिए भी क्रियान्वित किया है। वह इस श्रेणी को 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराती है।